nt>

Title: Need to amend the Citizenship Act for protecting the interest of East Bengal.

MR. SPEAKER: Shri Ramdas Athawale. I will not call you in future if you go on giving a running commentary.

श्री रामदास आठवले (पंढरपुर) : अध्यक्ष महोदय, दिसम्बर 2003 में एक कानून बना था जिसके अनुसार ईस्ट बंगाल के काफी संख्या में लोग 1947 से रह रहे हैं। मेरा निवेदन है कि जो रिफ्यूजी ईस्ट बंगाल से आकर 1947 से रह रहे हैं, उनको सिटिजनशिप देने की आवश्यकता है। कनाडा, अमरीका, इंग्लैंड आदि देशों में लोग जाते हैं तो वहां उनको सिटिजनशिप मिल जाती है। इसलिए मेरा अनुरोध है कि ईस्ट बंगाल के जो लोग 1947 से रह रहे हैं, उनको नागरिकता दी जाए। अध्यक्ष जी, आपकी स्टेट से संबंधित यह विाय है। ऐसे डेढ़ करोड़ लोग हैं जिन्हें सिटिजनशिप देने की आवश्यकता है। इस कानून में सुधार करते हुए डेढ़ करोड़ लोग जो 1947 से ईस्ट बंगाल के यहां रहते हैं, उनको नागरिकता दी जाए, यह हमारी मांग है। अभी उनका 15 दिसम्बर से आंदोलन चालू होने वाला है। मेरा इतना ही निवेदन है कि सरकार इसके बारे में विचार करे और आप भी इस बारे में थोड़ा विचार करें।

MR. SPEAKER: Shri Shailendra Kumar, your matter relates to internal security. You can take part in the debate which is listed today.